कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.06.2025

विषयः- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वांछित शातिर अभियुक्त सतीश कुमार कौशल को 24 घण्टे के अन्दर थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0177/2025 धारा 65(1),74,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त सतीश कुमार कौशल पुत्र नन्दलाल उर्फ घूरे निवासी मिसिरपुर हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को आज दिनांक-23.06.2025 को समय करीब 09.15 बजे काशी पैराडाइज मोड के पास थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-22.06.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने प्रतिवादी सतीश कौशल उपरोक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष के साथ छेडखानी करने, उसका फोटो विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा समझाने का प्रयास करने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0177/2025 धारा 65(1),74,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सतीश कुमार कौशल पुत्र नन्दलाल उर्फ घूरे निवासी मिसिरपुर हरिजन बस्ती थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

काशी पैराडाइज मोड के पास थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से, दिनांक-23.06.2025 को समय करीब 09.15 बजे।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 0526/2017 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

2- मु0अ0सं0 0024/2019 धारा 323/352/354(क),506 भा0द0वि0 थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

3- मु0अ0सं0 0591/2019 धारा 376/420/465/468/471/496/506 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

4- मु0अ0सं0 0177/2025 धारा 65(1),74,351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 राकेश कुमार यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 चन्द्रसेन सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 अभिषेक पटेल थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 रानू कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।